

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 02/2018

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लंबित वाद	38	4440	649	485	1711	7323	453
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	32	4242	634	479	1678	7065	441
3	कुल अवशेष वाद	6	198	15	6	33	258	12
4	आवश्यकता नहीं	3	84	2	1	11	101	0
5	अवशेष वाद	3	114	13	5	22	157	12

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 02/2018

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा०सर्वोच्च न्यायालय				मा०उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकारण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	24	21	3	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	19	18	1	-	5	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा०	-	-	-	-	23	23	-	-	6	6	-	-	1	1	-	-	6	6	-	-
5	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3	-	-	269	262	7	-	47	46	1	-	107	106	1	-	125	125	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	5	4	-	1	870	807	21	42	95	93	1	1	28	27	1	-	349	347	-	2
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	2	0	-	2	156	155	-	1	18	18	-	-	32	32	-	-	49	42	-	7
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	-	-	-	-	196	166	4	26	35	35	-	-	14	13	-	1	101	100	-	1
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	2	-	-	101	90	3	8	13	11	1	1	-	-	-	-	32	32	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	1	1	-	-	119	119	-	-	15	14	1	-	28	26	2	-	43	42	-	1
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	19	19	-	-	2	2	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	1	1	-	-	175	165	8	2	44	42	2	-	41	41	-	-	162	150	12	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	177	165	10	2	36	34	2	-	33	33	-	-	18	17	1	-
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	1	1	-	-	49	47	1	1	5	5	-	-	3	3	-	-	18	15	3	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	5	5	-	-	344	337	7	-	46	44	2	-	17	16	1	-	346	346	-	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	2	2	-	-	70	67	3	-	19	19	-	-	5	5	-	-	55	53	2	-
18	मु०अ०, बेतवा, झाँसी	1	1	-	-	134	133	1	-	24	24	-	-	31	31	-	-	39	35	4	-

19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	4	4	-	-	209	203	6	-	19	19	-	-	14	14	-	-	193	193	-	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	21	21	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	2	1	1	-	397	388	9	-	55	54	1	-	32	32	-	-	32	32	-	-
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	4	-	-	255	242	13	-	40	40	-	-	27	27	-	-	32	32	-	-
23	मु0अ0, नलकूप, वराणसी	3	2	1	-	401	395	6	-	38	38	-	-	29	29	-	-	60	60	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	2	1	1	-	317	310	7	-	34	32	2	-	9	9	-	-	36	36	-	-
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	-	-	-	-	86	83	3	-	9	9	-	-	28	28	-	-	11	11	-	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4440</b>	<b>4242</b>	<b>114</b>	<b>84</b>	<b>649</b>	<b>634</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>485</b>	<b>479</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1711</b>	<b>1678</b>	<b>22</b>	<b>11</b>

कुल लम्बित वाद-7323

प्रतिशपथपत्र दाखिल-7065

अवशेष-157

आवश्यकता नहीं-101

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिसासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

## सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार अवमाननावादों का विवरण माह 02/2018

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा०सर्वोच्च न्यायालय				मा०उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकारण				मा०श्रम न्यायालय				अन्य			आ० न०
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा०	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	-	-	-	-	25	25	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	-	-	-	-	80	80	0	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	-	-	-	-	7	7	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	-	-	-	-	36	36	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	-	-	-	-	3	3	0	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झोंसी	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	11	11	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	14	14	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	-	-	-	-	4	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	-	-	-	-	21	21	0	-	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	-	-	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	-	-	-	-	18	18	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	35	33	2	-	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	14	14	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	मु0अ0, नलकूप, वारणसी	-	-	-	-	35	35	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फ़ैजाबाद	-	-	-	-	27	27	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	-	-	-	-	11	11	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	नि0उ0प्र0जलए वं भू0प्र0सं0लखन ऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओख ला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	0	0	0	0	360	356	4	0	86	78	8	0	0	0	0	0	7	7	0	0

कुल लम्बित वाद-453

प्रतिशपथपत्र दाखिल-441

अवशेष- 12

आवश्यकता नहीं-0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मासिक सूचना

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 02/2018

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ	0	2	3	0	5
2	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	0	1	1	0	2
3	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर	0	0	1	0	1
4	मुख्य अभियन्ता(सोन), वाराणसी	0	0	1	0	1
5	मुख्य अभियन्ता(सरयू प्रथम), फैजाबाद	0	0	1	0	1
6	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	0	1	0	1
7	मुख्य अभियन्ता(बाण सागर), इलाहाबाद	0	1	0	0	1
<b>योग</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)



18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	78	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	3	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	224	224	165	59	57	-	1	1	-	-	-
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	27	27	16	11	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, नलकूप, वारणसी	237	237	219	18	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फेजाबाद	75	75	29	46	42	4	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	58	58	20	38	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0 राज्य अभियंत्रण अकादमी,ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	<b>1280</b>	<b>1181</b>	<b>967</b>	<b>214</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)



अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र0 सं0	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह फरवरी 2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह फरवरी 2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
मुख्य अभियन्ता स्तर-2											
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	7	8	0	6	6	1	1	2	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या-5763/एस0एस0/2012 मिनि0एस0इरी0डिपा0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहा है।
3	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 लखनऊ	1	5	6	1	5	6	0	0	0	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित 10 अदद याचिकाओं पर निर्देश देते हुये याचिकायें निस्तारित कर दी गयी है। अतः इन्हें लम्बित वादों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है।
4	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	गण्डक, गोरखपुर	95	42	137	90	40	130	5	2	7	-
6	गंगा, मेरठ	6	0	6	0	0	0	6	0	6	-
7	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-

8	सरयू-प्रथम, फैजाबाद	3	136	139	3	108	111	0	4	4	1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-18 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 3-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 4-01 वाद की रिट अभी उपलब्ध नहीं है। 5-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 6-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। कुल 02+18+1+1+1+1=24
9	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	15	29	44	13	28	41	2	1	3	-
10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	74	11	85	64	11	75	2	0	2	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 08 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2-इलाहाबाद में 02 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	72	12	84	72	12	84	0	0	0	जनवरी-2012 से जुलाई-2017 तक मा0 उच्च न्यायालय में 03वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही मण्डल/खण्ड द्वारा की जा रही है।
12	बेतवा, झांसी	22	2	24	22	2	24	0	0	0	-
13	रामगंगा कानपुर।	151	20	171	141	20	161	7	0	7	3- कुल 03 वादों में विभाग की ओर से याचिका दाखिल अतः शपथ पत्र दाखिल नहीं होना है। कुल 03 वादों में आवश्यकता नहीं है इलाहाबाद में।
14	बाणसागर, इलाहाबाद	22	3	25	21	2	23	0	1	1	01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद
15	सोन वाराणसी	146	9	155	138	9	147	8	0	8	प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
16	अनुसंधान एवं नियोजन लखनऊ	0	5	5	0	4	4	0	1	1	-

17	शारदा बरेली	34	105	139	32	99	131	2	5	7	1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये हैं कि "याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0 प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतः प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ बेंच में
18	शारदा सहायक, लखनऊ	49	180	229	41	131	172	3	9	12	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 05 वार्दों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 40 वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ में 40 एवं इलाहाबाद में 05=45)
19	नलकूप मध्य, लखनऊ	54	133	187	48	124	172	6	9	15	-
20	नलकूप पश्चिम, मेरठ	105	68	173	100	60	160	5	8	13	-
21	नलकूप, वाराणसी	139	19	158	133	17	150	6	2	8	-
22	नलकूप, पूर्व फैजाबाद	28	141	169	27	136	163	1	5	6	-
23	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	23	15	38	21	14	35	2	0	2	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यशाला मण्डल, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉलम 06 में इंगित रिट याचिका संख्या- 19319/ए0बी0/2017 मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय बेंच, लखनऊ में योजित की गयी है। अतः प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ



	योग	1214	984	2198	1141	868	2009	56	49	105	17 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 67 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल $17+67=84$
--	-----	------	-----	------	------	-----	------	----	----	-----	---

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	माह जनवरी 2012 से माह फरवरी-2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह फरवरी- 2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>1214</b>	<b>984</b>	<b>2198</b>	<b>1141</b>	<b>868</b>	<b>2009</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	17 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 67 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल <b>17+67+=84</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 02/2018 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ- पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।									
1	नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर	007/2018	श्री सरला कुलश्रेष्ठ	अधिशाली अभियन्ता	47278/2017	कार्याप्रभारित अवधि को जोड़ने के सम्बन्ध में।	-	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के सम्बन्ध में विशेष अपील योजित किये जाने हेतु शासन / सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कराने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित।	
2	नलकूप खण्ड-1 लखीमपुर	812/2017	श्री मो0 नईम खॉ	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव	955/1996	रिट याचिका संख्या-3558/1992 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार याचियों को लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	-	नोटिस की प्रति अप्राप्त होने के कारण सी0ए0 दाखिल नहीं किया गया है।	
मुख्य अभियन्ता(परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी।									
3	मौ0बां0नि0 ख0-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री0 पी0डी0वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/ 2015	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद संख्या- 4183/2016 में दिनांक 23.08.2016 को पारित किये गये आदेश में एक माह का समय प्रदान करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण प्रतिवादी-2 (श्री0 पी0डी0वर्मा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ) के द्वारा करने के लिये निर्देशित किया गया है।	-	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवमाननावाद संख्या-4183/2016 में दिनांक 23.08.2016 को पारित किये गये आदेश में एक माह का समय प्रदान करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के लिये निर्देशित किया गया था। श्री सी0डी0 राम प्रमुख अभियन्ता द्वारा शासनादेश के आलोक में पुर्नविचार करते हुये नियम संगत न पाये जाने पर अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3705/ई-6 दिनांक 05.10.2016 द्वारा वादी के प्रत्यावेदन को निरस्त किया जा चुका है तथा इसकी प्रतिलिपि श्री याकूब को दिनांक 15.10.2016 द्वारा वादी को उपलब्ध करायी जा चुकी है। विभाग में श्री पी0डी0वर्मा नाम से कोई प्रमुख अभियन्ता कार्यरत नहीं रहे हैं। अवमाननावाद प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष श्री पी0डी0वर्मा के विरुद्ध होने के कारण खण्ड द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना / कार्यवाही सम्भव नहीं है। वर्तमान में वाद की सुनवाई की तिथि नियत नहीं है।	
मुख्य अभियन्ता(बाण सागर) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।									
4	बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर	अवमाननावाद 154/2018	श्री निनुआ राम	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, सिंचाई	19475/ 2017	यात्री के प्रत्यावेदन का तीन माह के अन्दर निस्तारण करने हेतु आदेश दिनांक 24.08.2017 को हुआ।	-	सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं।	सिंचाई अनुभाग-6

**मा0राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।**

मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1	लघु डाल नहर खण्ड, लखनऊ	1797/2016	लाल चन्द्र व अन्य	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव	1797/2016	प्रोन्नत वेतन मान 5000-8000 दिये जाने के सम्बन्ध में।	-	मा0अधिकरण के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका संख्या-17897/2017 मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है जिसमें दिनांक 09.08.2017 को सुनवाई के दौरान डिस्मिस हो गयी है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच में संख्या-100881/2017 योजित की गयी है।	
2	नलकूप खण्ड हरदोई	341/2017	श्री श्रीराम	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव	662/2017	मा0 न्यायालय ने दिनांक 03.05.2017 को विनियमितीकरण से पूर्व सेवा लाभ देने को कहा।	-	वाद विचाराधीन है।	
3	नलकूप खण्ड हरदोई	340/2017	श्री राम भजन	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव	1914/2017	मा0 न्यायालय ने दिनांक 24.04.2017 को विनियमितीकरण से पूर्व सेवा लाभ देने को कहा।	-	वाद विचाराधीन है।	

मुख्य अभियन्ता(परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी।

4	सिंचाई निर्माण खण्ड-2 ललितपुर	304/2017	मो0 जफरउल्लाह	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य।	1075/2007	मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासकीय आदेश संख्या-174/रिट/17-27-सि-5-32निया /07टी0सी0 दिनांक 06.11.2017 द्वारा दण्डादेश समाप्त किया गया। 19.03.2010 को शासकीय क्षति की वसूली दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा शास्ति तथा दण्ड के विरुद्ध आदेश पारित किये गये थे।	-	प्रश्नगत वाद में मुख्य अभियन्ता(परि0बेतवा) झाँसी के पत्रांक-656/मुअपबे/दिनांक 19.01.2018 के क्रम में अधि0अभि0 (ई-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उ0प्र0 द्वारा अपने पत्रांक-491/ई-2 दिनांक 06.02.2018 द्वारा अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मा0 अधिकरण के पारित आदेश के आधार पर श्री मो0 जफरउल्लाह, सेवानिवृत्त अधि0अभि0 के नोशनल प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने विषयक पत्र लिखा है।	सिंचाई अनुभाग-1
---	-------------------------------	----------	---------------	--	-----------	--	---	--	-----------------

मुख्य अभियन्ता(रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

5	बैराज निर्माण खण्ड-2 कानपुर	184/2017	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव	उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।	427/2011	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2016 में वादी को रूपया-137013.00 , 08 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश पारित किया गये है।	-	ग्रेच्युटी के भुगतान का गणना चक्र (ब्याज सहित) अधि0 अभि0(ई-1) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, को अधि0अभि0 बैराज निर्माण खण्ड-2 कानपुर के पत्र संख्या-2690 /बै0नि0ख0 -2/कोर्ट केस दिनांक 12.12.2017 को प्रेषित किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा वाद की अग्रिम सुनवाई की तिथि-10.04.2018 निर्धारित है।	
---	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------------------------	----------	---	---	--	--



मुख्य अभियन्ता(सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

6	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/ 2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	<p>उक्त अवमानना याचिका में प्रमुख सचिव सिंचाई एवं प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग पक्षकार है। उपरोक्त अवमानना याचिका, याची द्वारा निर्देश याचिका संख्या-176/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2015 का अनुपालन न किये जाने के समबन्ध में योजित की गयी है। मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 24.02.2015 के विरुद्ध शासन के आदेश पर विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-9134 (एस0बी0)/2016 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम चन्द्रशेखर कुमार मंगलम योजित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.04.2017 को पारित आदेश द्वारा रिट याचिका संख्या-9134 (एस0बी0)/2016 को डिसमिस कर दिया गया। तत्पश्चात शासन द्वारा मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 24.02.2015 तथा अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप / आदेश दिनांक 04.08.2017 पारित करते हुये याची के विरुद्ध पारित परिनिन्दा एवं एक वेतन वृद्धि आस्थायी रूप से दो वर्ष के लिये रोके जाने सम्बन्धी दण्डादेश दिनांक 11.11.2013 को निरस्त कर दिया गया है। जिसे शपथ-पत्र के माध्यम से मा0 अधिकरण में दाखिल कराते हुये अवमानना याचिका संख्या-68/2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया, परन्तु याची के अधिवक्ता द्वारा मा0 अअधिकरण को बताया गया कि शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 11.11.2013 के फलस्वरूप हुयी आर्थिक क्षति(रोकी गयी वेतन वृद्धि) का भुगतान याची को नही हुआ। जिसके कारण कम्प्लायंस अभी नही हुआ है। उपरोक्त अवमानना याचिका में मा0 अधिकरण द्वारा कम्प्लाइंस हेतु दिनांक 12.03.2018 की तिथि नियत की गयी है।</p>	<p>अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सी0के0 मंगलम इस खण्ड से दि0 21.06.2008 को कार्यमुक्त हो चुके हैं। इनका कोई सर्विस अभिलेख खण्ड में नही है। वर्तमान में श्री मंगलम बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर में तैनात है। शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 11.11.2013 के फलस्वरूप हुयी आर्थिक क्षति (वेतन वृद्धि एवं एरियर) का भुगतान इन्ही के खण्ड से होना है। अधिशाली अभियन्ता द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.08.2017 के अनुपालन हेतु अधि0 अभि0 बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर को पैरोकार नियुक्त करने हेतु अपने पत्रांक-380/ दि0 13.02.2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (ई-1) सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ</p>
---	---	---------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------	---	--	--

									से अनुरोध किया गया है। अधि०अभि०(ई-1) ने अपने पत्रांक-938/ई-1 बी०टी०सी० दिनांक 20.02.2018 द्वारा अधि०अभि० बाणसागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर को मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 24.02.2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पैरोकार को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।
मुख्य अभियन्ता(सरयू प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद।									
7	सरयू नहर खण्ड-3 गोण्डा	314/2017	राजवन्त शर्मा बनाम वी०पी० सिंह मुख्य अभियन्ता (गण्डक)	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, सिंचाई	826/2016	मा० न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.05.2016 द्वारा वाद को निस्तारित करते हुये आदेश दिया गया था कि तीन माह के अन्दर जाँच को निस्तारित करते हुये अंतिम आदेश निर्गत किया जाये।	-	लोक सेवा आयोग उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या-185/25/ए०डी०सी०/एस-7/16-17 दिनांक 16.01.2017 द्वारा अवगत कराया है कि जाँच अपूर्ण है तथा पुनः स्पष्ट जाँच करने के उपरान्त अपना परामर्श उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा। उक्त के क्रम शासन द्वारा जाँच अधिकारी / मुख्य अभियन्ता(गण्डक)को पुनः जाँच पूर्ण कर स्पष्ट जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 04.06.2017 को निर्देशित किया गया है। जाँच अधिकारी की जाँच आख्या अप्राप्त है। मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 16.03.2018 निर्धारित की गयी है।	सिंचाई अनुभाग-6
मुख्य अभियन्ता(नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
8	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	534/2015	सच्चिदा नन्द त्रिपाठी	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	1070/2006	वादी सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता द्वारा सेवानिवृत्त देयकों के विलम्ब से भुगतान के संबंध में।	मा० अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या-1070/2006 में पारित अंतिम आदेश दि० 28.04.2015 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद	दिनांक 24.01.2018 को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-9191/2017 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ०प्र० लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका योजित की जा चुकी है। जिसमें अभी तक कोई	-

						<p>में दि० 20.02.2017 को याचिका संख्या-9191/2017 दाखिल है। इस याचिका को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01.03.2017 को डिसमिस करते हुये अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है।</p>	<p>सुनवाई तिथि निर्गत नहीं की गयी है तथा मा० लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत अवमाननावाद में दिनांक 20.02.2018 को पारित आदेश में आगामी तिथि-06.04.2018 से पहले अनुपालन करने के निर्देश दिये गये हैं।</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)  
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)  
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)